

मांग संख्या 24  
मुख्य शीर्ष 3054

**मद क्रमांक 1**

राज्य राजमार्ग के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु राशि ₹ 3500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 35,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

जिला और अन्य सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु राशि ₹ 6500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 65,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 से 6**

ए.डी.बी. सहायित छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना के अधिकारियों/कर्मचारियों के बेतन भुगतान हेतु राशि ₹ 74.70 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है। उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 74.70 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 74,70,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 5054**

**मद क्रमांक 7**

जिला धमतरी के कुरुद के उमरदा सिंघारी मार्ग के किमी 33/6 पर मदरौद नाला पर पुल निर्माण कार्य (अनुमानित लागत ₹ 300.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ₹ 30.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा। इस हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

धमतरी शहर में (i) राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.30 के किमी 74 से 80 में पेहड़ शोल्डर से चौड़ीकरण, पक्की नाली सहित निर्माण कार्य (अनुमानित लागत ₹ 865.57 लाख) तथा (ii) नहर नाका चौक से लक्ष्मी निवास चौक तक 2.10 किमी का चौड़ीकरण कार्य (अनुमानित लागत ₹ 301.66 लाख) हेतु ₹ 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है। उक्त कार्यों पर होने वाला व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा। उक्त अग्रिम प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु यूटिलिटि शिफिटिंग एवं अधिग्रहित भू-अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु ₹ 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा। इस हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

जिला मुख्यालय महासमुद्र में जिला न्यायालय के पहुंच मार्ग 341 मीटर (अनुमानित लागत ₹ 138.19 लाख) तथा अधिग्रहित भू-अर्जन मुआवजा भुगतान (₹ 54.60 लाख) इस प्रकार कुल ₹ 193.19 लाख पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

कचना बलौदाबाजार मार्ग में भू-अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु ₹ 245.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,45,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।